03-03-2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादी का सही नाम बीरबलराम पुत्र मोबराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी का नाम बिल्ला, विल्ला अंकित कर दिया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बैंक पास बुक, मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियां पेश किये। वाद पत्र के साथ वादी ने वादी का शपथ पत्र, व दो गवाहान का शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बिल्ला, विल्ला अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम बीरबलराम पुत्र मोबराम की पुष्टि बैंक पास बुक, मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड से होती है। वादी के स्वयं, व गवाहान के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भगेगा आर.एस. स्थित भूमि खाता संख्या 55 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **बिल्लाराम पुत्र मोबाराम,** खाता संख्या 86, 87 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **विल्ला पुत्र मोबाराम,** खाता संख्या 79 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **बिल्ला पुत्र मोबाराम,** के स्थान पर **बीरबलराम पुत्र मोबा[illegible]** [illegible] कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आ[illegible] दि[illegible] जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व [illegible] में अमल दरामद हेतु पर्चा [illegible] जावे।

निर्णय सरे इजल[illegible] सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Breejesh Kumar
Date: 2021.03.31 17:09:05 IST
Reason: Self Attested